न्यायालय सहायक कलक्टर (Fast-Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 41/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 मनोज पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी जसोतोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।		1 भूराराम पुत्र तिलोकाराराम जाति कुम्हार निवासी जसोतोणियों की ढाणी, भाड़खा 2 दीपक पुत्र भूराराम हाल निवासी ए–1201 हितेच रेजीडेन्सी वीआईपी रोड, वेसू सुरत गुजरात 3 जसोदा पत्नी तिलोकाराम जाति कुम्हार निवासी जसोतोणियों की ढाणी, भाडखा 4 राधा पुत्री भूराराम जाति कुम्हार जसोतोणियों की ढाणी हाल निवासी फ्लेट नम्बर 301 रॉयल प्लाजा अपार्टमेन्टस् महालक्ष्मी रोड छत्रपति शिवाजी नगर शांति निकेतन सोसायटी अदाजन, सुरत, गुजरात 5 भावना पुत्री भूराराम जाति कुम्हार निवासी जसोतोणियों की ढाणी, भाड़खा हाल निवासी के/6 एन पार्क सोसायटी उद्यान मंगडाला रोड सुरत गुजरात 6 तहसीलदार बाडमेर 7 उपपंजीयक बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री भीमाराम कुमावत, वकील प्रार्थी।

2 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03।

निर्णय

दिनांक 10.3.21

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 53, 207, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जसोतोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 181/25 रकबा 89.07 बीघा भूमि पैतृक खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा तिलोकाराम के नाम बन्दोबस्त के समय खातेदारी में दर्ज हुई। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में अपने पिता के साथ जन्म से हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि बिना परिवार की वैध आवश्यकता के अपने विधिक हिस्से से ज्यादा करीब 44.00 बीघा भूमि बेचान कर चुके है, जिसका प्रर्थी द्वारा विरोध करने पर बेचान करने की धमकिया दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 06 व 07 के उक्त कृत्य से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01, 03, 06 व 07 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 01, 03, 06 व 07 प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और न ही भूमि का रहन, बय, हस्तान्तरण करे, मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते सीधे बहस करना चाहते है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है। पैतृक भूमि में पोत्र होने के नाते प्रार्थी का जन्म से हित निहित है। पैतृक भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि का बेचान अजनबी को हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट तिलोकाराम के नाम दर्ज हुई थी। तिलोकाराम के देहान्त के पश्चात भूमि उसके 02 पुत्रों काछबाराम व भूराराम तथा पत्नी जसोदा के नाम विरासतन के नामान्तकरण के फलस्वरूप दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमे जसोदा के हिस्से की भूमि से हिस्सा चाहा गया है, जबकि जसोदा के जीवनकाल में प्रार्थी उक्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्जावेजात का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है, जो बन्दोबस्त के समय तिलोकाराम के नाम दर्ज हुई थी। तिलोकाराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि उसके 02 पुत्रों काछबाराम व भूराराम तथा पत्नी जसोदा के नाम विरासतन के नामान्तकरण के फलस्वरूप दर्ज हुई। तिलोकाराम का एक पुत्र काछबा था जो फौत हो चुका है तथा उसका पुत्र तेजाराम कुआरा फौत होना बताया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि तिलोकाराम के पुत्र भूराराम तथा पत्नी जसोदा के नाम दर्ज है। वकील अप्रार्थीगण के इस कथन से हम सहमत है कि जसोदा के जीवनकाल में प्रार्थी उक्त भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी भूराराम का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02, 04 व 05 पुत्र–पुत्रियाँ है, जिनका भी उक्त भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे प्राप्त करने के अधिकारी है। वकील प्रार्थी के इस कथन से हम सहमत है कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि का अन्य अजनबी को बेचान हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अप्रार्थी भूराराम के हिस्से में शेष भूमि में प्रार्थी का अपना हिस्सा निहित होने से प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया अधिकारी है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जसोतोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 181/25

सहायक कलक्टर

रकबा 59.07 बीघा भूमि में से 15.00 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका है। शेष 44.07 बीघा भूमि रहती है। अभिलेख के अनुसार प्रथम दृष्टया उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा भूराराम का तथा 1/2 हिस्सा जसोदा का बनता है। भूराराम के उक्त 1/2 हिस्सा में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में प्रार्थी के 1/10 हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जसोतोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 181/25 रकबा 44.07 बीघा भूमि में प्रार्थी के 1/10 हिस्से तक की भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 10-3-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) बाड़मेर